



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फेक्स नं० 2775816 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनावटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् है-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Champawat(8800)

DDO-District Programme Officer Champawat(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150101

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
04-यात्रा व्यय				0	25000	0	25000					
08-पारिश्रमिक				0	165000	0	165000					
22-कार्यालय व्यय				0	100000	0	100000					
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय				0	250000	0	250000					
42-अन्य विभागीय व्यय				0	150000	0	150000					
योग				0	690000	0	690000					

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0013

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैक्स नं० 2775816 ईमेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निवेदन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Rudraprayag(9000)

DDO-District Programme Officer Rudraprayag(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150100

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
केएस0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6				
मानक मद का नाम													पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
04-यात्रा व्यय													0	25000	0	25000
08-पारिश्रमिक													0	165000	0	165000
22-कार्यालय व्यय													0	100000	0	100000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय													0	250000	0	250000
42-अन्य विभागीय व्यय													0	150000	0	150000
योग													0	690000	0	690000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0012

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फ़ैक्स नं० 2775816 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ बन्धना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-U S Nagar(7500)

DDO-District Programme Officer U S Nagar(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150099

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
04-यात्रा व्यय					0	25000	0	25000				
08-पारिश्रमिक					0	165000	0	165000				
22-कार्यालय व्यय					0	100000	0	100000				
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय					0	250000	0	250000				
42-अन्य विभागीय व्यय					0	150000	0	150000				
योग					0	690000	0	690000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0011

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



वित्त नियंत्रक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैक्स नं० 2775816 ईमेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्त एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् है-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्थोरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक


बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Haridwar(6500)

DDO-District Programme Officer Haridwar(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150098

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

 26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)


Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6				
मानक मद का नाम													पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
04-यात्रा व्यय													0	25000	0	25000
08-पारिश्रमिक													0	165000	0	165000
22-कार्यालय व्यय													0	100000	0	100000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय													0	250000	0	250000
42-अन्य विभागीय व्यय													0	150000	0	150000
योग													0	690000	0	690000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0010

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


 वित्त नियंत्रक
 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
 उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैक्स नं० 2775816 ईमेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनावटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्थोरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Pithoragarh(3800)

DDO-District Programme Officer Pithoragarh(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150097

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
04-यात्रा व्यय					0	25000	0	25000				
08-पारिश्रमिक					0	165000	0	165000				
22-कार्यालय व्यय					0	100000	0	100000				
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय					0	250000	0	250000				
42-अन्य विभागीय व्यय					0	150000	0	150000				
योग					0	690000	0	690000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0009

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैक्स नं० 2775816 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनावंटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आंवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्थोरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Gopeshwar(4000)

DDO-District Programme Officer Chamoli(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150096

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6				
मानक मद का नाम													पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
04-यात्रा व्यय													0	25000	0	25000
08-पारिश्रमिक													0	165000	0	165000
22-कार्यालय व्यय													0	100000	0	100000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय													0	250000	0	250000
42-अन्य विभागीय व्यय													0	150000	0	150000
योग													0	690000	0	690000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0008

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैक्स नं० 2775816 ईमेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् है-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Almora(3700)

DDO-District Programme Officer Almora(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150095

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)


Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग				
04-यात्रा व्यय				0	25000	0		25000				
08-पारिश्रमिक				0	165000	0		165000				
22-कार्यालय व्यय				0	100000	0		100000				
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय				0	250000	0		250000				
42-अन्य विभागीय व्यय				0	150000	0		150000				
योग				0	690000	0		690000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0007

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


वित्त नियंत्रक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैक्स नं० 2775816 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्थोरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Nainital(3600)

DDO-District Programme Officer Nainital(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150094

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग				
04-यात्रा व्यय				0	25000	0		25000				
08-पारिश्रमिक				0	60000	0		60000				
22-कार्यालय व्यय				0	100000	0		100000				
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय				0	250000	0		250000				
42-अन्य विभागीय व्यय				0	150000	0		150000				
योग				0	585000	0		585000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.5,85,000 (Rupees Five Lacs Eighty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0006

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैंक्स नं० 2775816 ईमेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Uttarkashi(4100)

DDO-District Programme Officer Uttarkashi(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150093

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा

02-Social Welfare

कल्याण

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री

Voted

मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग				
04-यात्रा व्यय				0	25000	0		25000				
08-पारिश्रमिक				0	165000	0		165000				
22-कार्यालय व्यय				0	100000	0		100000				
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय				0	250000	0		250000				
42-अन्य विभागीय व्यय				0	150000	0		150000				
योग				0	690000	0		690000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0005

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फ़ैक्स नं० 2775816 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु घनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आंवटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्थोरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य रथाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-New Tehri(6100)

DDO-District Programme Officer New Tehri(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150092

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ बन्धना योजना) (90 प्रतिशत
केएस0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
04-यात्रा व्यय				0	25000	0	25000					
08-पारिश्रमिक				0	165000	0	165000					
22-कार्यालय व्यय				0	100000	0	100000					
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय				0	250000	0	250000					
42-अन्य विभागीय व्यय				0	150000	0	150000					
योग				0	690000	0	690000					

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0004

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैक्स नं० 2775816 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् है-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Garhwal(4200)

DDO-District Programme OfficerPauri (4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150091

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग				
04-यात्रा व्यय				0	25000	0		25000				
08-पारिश्रमिक				0	165000	0		165000				
22-कार्यालय व्यय				0	100000	0		100000				
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय				0	250000	0		250000				
42-अन्य विभागीय व्यय				0	150000	0		150000				
योग				0	690000	0		690000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0003

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


वित्त नियंत्रक

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैक्स नं० 2775816 ईमेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्थोरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Dehradun(0100)

DDO-District Programme Officer Dehradun(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150090

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग				
04-यात्रा व्यय				0	25000	0		25000				
08-पारिश्रमिक				0	165000	0		165000				
22-कार्यालय व्यय				0	100000	0		100000				
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय				0	250000	0		250000				
42-अन्य विभागीय व्यय				0	150000	0		150000				
योग				0	690000	0		690000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0002

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैक्स नं० 2775816 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या सी-504 / बजट -5511-II/2019-20,

दिनांक 21 जुलाई, 2020

1-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।

2-समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 604/XVII(4)/2020-43/10 दिनांक 13-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 12750000/- (रू० एक करोड़ सताईस लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 10575000/- (रू० एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं-

- 1- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- मानक मद 04-यात्रा व्यय के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 4- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 5- मानक मद 22-कार्यालय व्यय एवं 42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत कंटीजैन्सी हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 6- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जायं।
- 8- आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना प्रभारी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 10- वर्तमान जारी बजट को विभागीय वेबसाइट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
- 11- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियन्त्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियन्त्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Bageshwar(8900)

DDO-District Programme Officer Bageswar(4152)

आवंटन पत्र संख्या -C-504

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H20070150102

आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2020

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री
मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत
के0स0) (आई0सी0डी0एस0
योजना)

Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
04-यात्रा व्यय					0	25000	0	25000				
08-पारिश्रमिक					0	165000	0	165000				
22-कार्यालय व्यय					0	100000	0	100000				
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय					0	250000	0	250000				
42-अन्य विभागीय व्यय					0	150000	0	150000				
योग					0	690000	0	690000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.6,90,000 (Rupees Six Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2007:0014

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून